



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpcl@gmail.com

संख्या : 541/अनु०-2/सी०ई०एच०/प्रोन्नति/2019 दिनांक : 30/04/2020

कार्यालय ज्ञापन

उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल) रेग्युलेशन 1972 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० व उसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को तथा उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि० के अधीन अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (विद्युत एवं यांत्रिक) के रिक्त पदों के विरुद्ध उपयुक्त कार्मिकों के चयनोपरान्त विद्युत सेवा आयोग के पत्र संख्या-2176/विसेआ/टी०जी०-2-जे०ई० दिनांक 04.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूची में चयनित अभ्यर्थियों को एतद्वारा उ०प्र० पा०का०लि० व उसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को तथा उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि० के अधीन कार्यभार ग्रहण की तिथि से उ०प्र० पा०का०लि के ज्ञाप संख्या 1090-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि/2016-4-काविनी/12 (टी०सी०) दिनांक 21.12.2016 में निहित प्राविधानानुसार छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन बैंड-11 (रु० 9300-34800) में ग्रेड वेतन रु० 4600/- के सापेक्ष प्रारम्भिक प्रविष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन रु० 12540.00 (सातवे वेतनमान में यथा अनुमन्य संशोधित) पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित निगमों/इकाईयों में अग्रेतर तैनाती हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित किया जाता है कि इन अवर अभियन्ताओं को उनके वर्तमान तैनाती स्थल एवं गृह जनपद में तैनात न किया जाये।

(क) 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्नत कार्मिकों का विवरण

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री.....	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त आवंटित इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CEHC-0137	TIRLOCK CHAND SHARMA	K.P. SHARMA	01/05/1965	BULANDSHAR	ETD, BSR	TRANSCO
2	CEHC-0462	NAIM AKHTAR ANSARI	LT. KALLU ANSARI	15/01/1968	ALLAHABAD	EDD, MIRZAPUR	PuVVNL, VARANASI
3	CEHC-1786	SAURABH KUMAR SAXENA	SHAMSHER BAHADUR SAXENA	08/06/1975	RAMPUR	ETD, RAMPUR	PVVNL, MEERUT

(ख) 8.33% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्नत कार्मिकों का विवरण

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री.....	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त आवंटित इकाई का नाम
1	2	3	4	6	5	7	8
2	CEHC-2491	AMIT SAINI	BABURAM	14/01/1985	SAHARANPUR	EDD-1 SHAMLI	PVVNL, MEERUT

है :- उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा प्रोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती

1. उक्त कार्मिकों को अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति के पश्चात् नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग-अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :-
 - (क) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - (ख) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष नहीं है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - (ग) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - (घ) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
2. इन कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
3. कार्मिक की चयन द्वारा यह प्रोन्नति पूर्णरूप से अस्थायी है, जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. सम्बन्धित डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक एवं पा0का0लि0 की कारपोरेट इकाईयों के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उपरोक्त आवंटित कार्मिकों की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयनित समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कार्मिक के विषय में यह मानते हुये कि वह प्रोन्नति पद स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है, तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
5. चयनित कार्मिकों के नाम, पिता का नाम, गृह जनपद, जन्म तिथि एवं वर्तमान तैनाती इकाई इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है, तो उन विवरणों को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होगी।
6. नव-तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण-पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी से दों प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता (हा0), उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (क) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता इत्यादि की पुष्टि/सत्यापन कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों एवं इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से करेंगे तथा भिन्नता की स्थिति में कार्मिक से शपथ पत्र आदि लेकर अग्रेतर कार्यवाही करेंगे तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावेंगे।
 - (ख) प्रोन्नति कार्मिक अपनी योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणापत्र नव तैनाती स्थल/कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
 1. कारपोरेशन/डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को की सेवाओं में कार्यरत होने सम्बन्धी घोषणा।
 2. समस्त चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा।

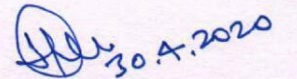
3. विभागीय/अन्य श्रोतों से लिए गये ऋण की घोषणा।
4. कारपोरेशन/डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा।
5. इन कार्मिकों के वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 1 पर अंकित विभिन्न मदों का प्रमाण पत्र।
7. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति ट्रांस्को/डिस्काम के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (हा0) के कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
8. प्रकरण में शेष रिक्त पदों के विरुद्ध अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे, जिन पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9. उक्त चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव नियमानुसार नहीं पायी जाती है, तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।
10. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित किसी भी याचिका में पारित आदेश के प्रतिबन्धाधीन है।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 541/अ-2/तददिनांक : 30.04.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल/पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष एवं निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से भी प्रशिक्षण हेतु अवर अभियन्ता को सूचित कराना चाहे।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन लि0, की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
10. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल/कट फाइल।



(हेमन्त कुमार गुप्ता)

वैयक्तिक सहायक-षष्ठम
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)